संख्या-85/2024/2024/001-2990408/12-2099/1/2023-1111/2024

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2024**

विषय:-आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष दायित्वों एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 की मांग के अनुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-दलहन-373/आ0नि0भा0/बजट/2024-25, दिनांक 30 अगस्त, 2024 एवं पत्र संख्या-दलहन-447/आ0नि0भा0/बजट/2024-25, दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजनान्तर्गत एफ0पी0ओ0/सी0बी0बी0ओ0 के अवशेष दायित्वों हेतु की गयी मांग कार्यदायी संस्थाओं यथा यू0पी0 डास्प, उ0प्र0 को वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि रू0 900.73294 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ द्वारा धनराशि रू0 728.22753 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धनराशि रू0 746.956 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2375.91647 लाख की मांग चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-05-आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपये 10000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये 2375.91647 लाख (रूपया तेइस करोड़ पचहत्तर लाख इक्कानबे हजार छः सौ सैतालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड-लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का रहेगा।

(5) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृति न हो।

(8) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(9) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-90/2442/1487590/12-2099/177/2021/2921-03/2021, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

(12) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

**2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 23,75,91,647 (रुपये तेइस करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हजार छ: सौ सैंतालिस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-011 लेखा शीर्षक 2401001090500 आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना मानक मद- 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।**

**3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

**(लाल बहादुर यादव)**

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-85(1)/2024/2024/001-2990408(1)/12-2099/1/2023-1111/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**लाल बहादुर यादव**)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।